लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1447
उत्तर देने की तारीखः 20.09.2020

वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता

1447. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समाज के वंचित वर्गों को दिए गए ऋण पर राजसहायता का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों हेतु ऋण के अंतर्गत वंचित वर्गों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के बारे में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी, हां। यह मंत्रालय अलग-अलग लाभार्थियों और केवल एससी एवं ओबीसी के लिए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ब्याज सबवेंशन हेतु नए वित्तीय मॉडल का कार्यान्वयन करने जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी) एससीएसएचजी/लाभार्थियों के वास्ते और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ओबीसी एसएचजी/लाभार्थियों हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगा।

इस मॉडल का उद्देश्य, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन-यापन मिशन (एनआरएलएम) या राष्ट्रीय शहरी जीवन-यापन मिशन (एनयूएलएम) या नाबार्ड के तहत गठित पात्र एसएचजी व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम ब्याज दर का सीधा लाभ प्रदान करना है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और इसी प्रकार के वित्तीय संस्थानों के माद्यम से ऋण लिया है या जिन्हें ऋणदाता संस्थानों के रूप में कहा जाता है।

इसके अलावा, यह मंत्रालय निम्नलिखित दो योजनाओं का कार्यान्वयन पहले से ही कर रहा है जिसके द्वारा समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान की जाती हैः-

1. अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर डॉ. अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजनाः इस योजना के अंतर्गत, नोडल बैंक द्वारा लाभार्थियों को 20.00 लाख रुपए तक के ऋण पर अर्जित ब्याज सब्सिडी संवितरित की जाती है। जिन

उम्मीदवारों के माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख रुपए तक है, वे इस योजना के अंतर्गत ऋण के पात्र हैं।

2. एनबीसीएफडीसी उन पिछड़े वर्गों के वंचित वर्गों को रियायती ब्याज-दर पर ऋण प्रदान करता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम है। यह ऋण प्राथमिकता राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से स्व-रोजगार अवसरों का संवर्द्धन करने के लिए आय-जन्य गतिविधियों दिया जाता है। आय-जन्य गतिविधियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 15.00 लाख रुपए तक है।

अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर डॉ. अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजनाः इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी योजना के पिछले पांच वर्षों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वित्त वर्ष	ईबीसी		ओबीसी		छात्रों की कुल संख्या	सब्सिडी का दावा की गई राशि
	छात्रों की संख्या	सब्सिडी राशि	छात्रों की संख्या	सब्सिडी राशि		
2015-16	250	13465826	526	29036775	776	42502601
2016-17	347	36820641	653	60972304	1000	97792945
2017-18	555	52992331	1265	85354252	1820	138346583
2018-19	903	61417907	2260	148070216	3163	209488123
2019-20	896	59488225	2400	183029884	3296	242518109
कुल	**3003**	**225981491**	**7225**	**511594691**	**10228**	**737576182**

एनबीसीएफडीसी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान पिछड़े श्रेणी के वंचित वर्गों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौराः

वित्तीय वर्ष	वित्तीय सहायता (रुपए करोड़ में)	लाभार्थी
2015-16	315.12	188158
2016-17	387.36	170555
2017-18	467.81	138588
2018-19	524.28	152844
2019-20	604.18	173524

******